

फा.सं.08/02/2025-रा.भा.(सेवा)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय/ राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-॥ भवन, बी विंग, चौथा तल,

जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक 05 फरवरी, 2026

कार्यालय जापन

विषय: वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) को SPARROW पोर्टल के माध्यम से पूर्ण एवं समापन (Closure) किए जाने हेतु अंतिम समय-सीमा के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, यह अवगत कराया जाता है कि केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (CSOLS) संवर्ग के अधिकारियों की वर्ष 2024-25 की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) की प्रक्रिया को SPARROW पोर्टल पर इस विभाग के कार्यालय जापन दिनांक 21 अगस्त, 2025 के माध्यम से प्रारंभ किया गया था।

2. इसके उपरांत APAR की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 04 अनुस्मारक जारी किए गए, साथ ही 57 मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को सचिव (राजभाषा) की ओर से अर्ध-शासकीय पत्र भी प्रेषित किए गए। तथापि, यह गंभीर विषय है कि पर्याप्त समय एवं अनेक अवसर उपलब्ध कराए जाने के बावजूद अभी भी बड़ी संख्या में APAR विभिन्न स्तरों— Reporting Officer, Reviewing Officer, CSOLS कार्मिकों द्वारा प्रकटीकरण (Disclosure) तथा Custodian (Disclosure/Closure)—पर लंबित पाई जा रही हैं।

3. सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इसकी समीक्षा की गई, जिसमें यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया कि APAR की लंबित स्थिति का प्रतिकूल प्रभाव पदोन्नति, सेवा अभिलेखों के रख-रखाव तथा कार्मिक प्रबंधन पर पड़ता है, साथ ही, इससे वितीय वर्ष 2025-26 की APAR प्रक्रिया प्रारंभ करने में भी विलंब हो रहा है।

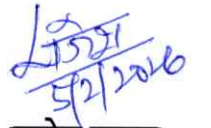
4. उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अंतिम अवसर के रूप में, यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2024-25 की APAR को पूर्ण करने एवं समापन (Closure) की अंतिम समय-सीमा दिनांक 20 फरवरी, 2026 तक बढ़ाई जाती है तथा विलंब की स्थिति में Disclosure से Closure तक प्रत्येक 15 दिवस की अवधि पूर्ण होने पर संबंधित APAR को स्वचालित रूप से अगले स्तर पर भेजे जाने की प्रणाली लागू कर दी जाएगी। तत्पश्चात, समय-सीमा विस्तार का विकल्प समाप्त हो जाएगा।

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कुछ विशेष/संवेदनशील कार्यालयों तथा विशेष प्रकरणों में—जैसे कि कार्मिक/Reporting Officer का स्थानांतरण, सेवानिवृत्ति अथवा अन्य अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों से—सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से वर्ष 2024-25 की APAR भौतिक (Physical) रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी, जिन्हे राजभाषा विभाग के माध्यम से SPARROW पोर्टल पर माइग्रेट (migrate) किया जाना है।

6. अतः संबंधित कार्मिकों से अनुरोध है कि वे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति पत्र सहित अपनी Physical APAR दिनांक 20 फरवरी, 2026 तक (कार्य दिवसों में) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दें, ताकि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसे पोर्टल पर माइग्रेट कर समापन (Closure) की कार्रवाई की जा सके।

7. निर्धारित तिथि के पश्चात वर्ष 2024-25 के लिए SPARROW पोर्टल को पूर्णतः बंद (Closed) कर दिया जाएगा। इसके उपरांत न तो कोई ऑनलाइन APAR और न ही कोई भौतिक (Physical) APAR किसी भी स्तर पर स्वीकार की जाएगी तथा जहाँ भी APAR लंबित होगी, उसे उसी स्थिति में बंद कर दिया जाएगा।
8. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्येक CSOLS अधिकारी/कर्मचारी का यह दायित्व है कि APAR की स्थिति की स्वयं नियमित रूप से जाँच करे, कि APAR बंद (Closed) हो चुकी है अथवा किसी स्तर पर लंबित है तथा वह किस स्तर पर लंबित है। APAR की स्थिति Sparrow Portal में User Assistance टैब के अंतर्गत "Track Your PAR" विकल्प के माध्यम से देखी जा सकती है। यदि APAR बंद हो चुकी है, तो उसे Dossier Tab में "My completed APAR" में देखा जा सकता है।
9. तदनुसार, सभी CSOLS संवर्ग के सभी कार्मिक तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि -
- ORU द्वारा स्व-मूल्यांकन तत्काल पूर्ण किया जाए;
 - Reporting एवं Reviewing Officers द्वारा उनकी टिप्पणियाँ अविलंब दर्ज की जाएँ;
 - जिन अधिकारियों के APAR उनके इनबॉक्स में प्रकटीकरण (Disclosure) हेतु लंबित हैं, वे तत्काल अपना APAR प्रकटीकरण पूर्ण कर उसे समापन (Closure) हेतु Custodian को अग्रेषित करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि नियमानुसार Custodian द्वारा APAR के प्रकटीकरण प्राप्त होने की तिथि से केवल 15 दिवस की अवधि के भीतर ही अभ्यावेदन (Representation) स्वीकार्य होगा उसके उपरांत अभ्यावेदन का अधिकार स्वतः समाप्त (forfeited) हो जाता है तथा इस संबंध में कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा; तथा
 - Custodian द्वारा Disclosure, Post-Disclosure प्रक्रिया एवं अंतिम Closure समयबद्ध रूप से किया जाए;
10. किसी भी तकनीकी कठिनाई की स्थिति में संबंधित विवरण के साथ sparrowsupport-csols@gov.in तथा soservice-dol@gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।

यह कार्यालय ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(राजेश कुमार)

सहायक निदेशक(सेवा)

दूरभाष: 011-23438125

सेवा में,

1. अवर सचिव (प्रशासन/स्थापना), संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय तथा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से।
2. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के राजभाषा अनुभाग के नियंत्रण अधिकारियों को राजभाषा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से।
3. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को वेबसाइट के माध्यम से।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, एन.आई.सी। कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
5. गार्ड फाइल।